की हानि के लिए 40,000/- रुपए, अंत्येष्टि व्ययों के लिए 15,000/- रुपए, अर्थात्, कुल 49,97,956/- रुपए के, जिसे 50,00,000/- रुपए तक पूर्णांकित किया जाता है, हकदार हैं । दावेदार, इस रकम पर याचिका फाइल करने की तारीख से रकम का संदाय किए जाने तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज के हकदार होंगे । स्पष्टतः, बीमा कंपनी पहले से संदत्त की गई रकमों की कटौती/समायोजन करने की हकदार होगी ।

23. अपीलें उपर्युक्त निबंधनानुसार मंजूर की जाती हैं । लंबित आवेदनों का, यदि कोई हैं, निपटारा किया जाता है ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

ग्रो.

[2019] 2 उम. नि. प. 201

कमला और अन्य

बनाम

एम. आर. मोहन कुमार

24 अक्तूबर, 2018

न्यायमूर्ति (श्रीमती) आर. भानुमती और न्यायमूर्ति (सुश्री) इन्दिरा बनर्जी

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 125 – भरण-पोषण – विवाह का सबूत – जब पत्नी के साक्ष्य, बालकों के जन्म प्रमाणपत्रों और अन्य दस्तावेज़ी साक्ष्य से विधिमान्य विवाह की उपधारणा उद्भूत होती है और पत्नी के साक्ष्य की स्वतंत्र साक्षियों के साक्ष्य से संपुष्टि हो जाती है तब पत्नी भरणपोषण की हकदार होगी क्योंकि भरणपोषण के लिए विवाह के ठोस मानक का सबूत आवश्यक नहीं होता है ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 125 और 401 – भरणपोषण –

उच्च न्यायालय अपनी पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए कुटुम्ब न्यायालय द्वारा मौखिक और दस्तावेज़ी, दोनों प्रकार के साक्ष्य के आधार पर विधिमान्य विवाह के अस्तित्व में होने के बारे में निकाले गए निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है ।

अपीलार्थियों का पक्षकथन यह है कि अपीलार्थी सं. 1 और प्रत्यर्थी के बीच विवाह उनके माता-पिता की इच्छाओं के विरुद्ध एक मन्दिर में हुआ था और उनके विवाहोत्तर अपीलार्थी सं. 2-पुत्री और अपीलार्थी सं. 3-पुत्र का जन्म हुआ था और वे सरस्वतीपुरम, मैसूर में किराए के एक मकान में रहते थे । जब अपीलार्थी सं. 1 और प्रत्यर्थी के बीच विवाह अस्तित्व में था तब प्रत्यर्थी ने एक स्त्री से, जो कि उसकी सहकर्मी थी, विवाह कर लिया जिसके पश्चात् प्रत्यर्थी ने अपीलार्थियों की उपेक्षा की और वह अपीलार्थी सं. 1 को तंग कर रहा था । अपीलार्थी सं. 1 ने, प्रत्यर्थी के ऐसे व्यवहार से व्यथित होकर पुलिस में एक शिकायत की और पुलिस के निदेश पर प्रत्यर्थी अपीलार्थियों को उनके भरणपोषण मद्धे 3,000/- रुपए प्रति मास का संदाय कर रहा था । इसके अलावा, यह प्रकथन किया गया है कि जब उन्होंने अपना निवास-स्थान बदल लिया तब प्रत्यर्थी ने उनकी उपेक्षा करनी आरंभ कर दी । चूंकि अपीलार्थी सं. 1 अपना और अपने बच्चों का भरणपोषण नहीं कर सकती थी इसलिए उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन प्रत्यर्थी से अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भरणपोषण का दावा करते हुए दांडिक प्रकीर्ण फाइल किया । प्रत्यर्थी ने यह दलील देते हुए भरणपोषण दावे का विरोध किया कि उसने अपीलार्थी सं. 1 से कभी भी विवाह नहीं किया था और उसकी इस दलील से इनकार किया कि अपीलार्थी सं. 2 और 3 उसके और अपीलार्थी सं. 1 के बच्चे थे । प्रत्यर्थी ने यह दलील दी कि जब पक्षकारों के बीच कोई विधिमान्य विवाह नहीं हुआ है तब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरणपोषण की याचिका कायम नहीं रखी जा सकती है । कुटुम्ब न्यायालय ने साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी सं. 1 ने यह साबित कर दिया है कि अपीलार्थी सं. 1 और प्रत्यर्थी के बीच पति-पत्नी का संबंध है और यह कि अपीलार्थी सं. 2 और 3 का जन्म उनके उक्त विवाह के

फलस्वरूप हुआ है और यह कि प्रत्यर्थी उसे प्रतिमास 3,000/- रुपए भरणपोषण का संदाय कर रहा था । कुटुम्ब न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थियों के पक्षकथन को अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के साक्ष्य द्वारा समर्थित किया गया है जिससे स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि वे एक ही छत के नीचे रह रहे थे और समाज ने भी उन्हें पति और पत्नी माना । कुटुम्ब न्यायालय ने इन निष्कर्षों के आधार पर अपीलार्थी के दावे को मंजूर कर लिया और याचिका की तारीख से निर्णय की तारीख तक अपीलार्थी सं. 1 को प्रति मास 3,000/- रुपए और अपीलार्थी सं. 2 और 3 प्रत्येक को प्रति मास 2,500/- रुपए का भरणपोषण देने का आदेश किया । प्रत्यर्थी को यह निदेश दिया गया था कि वह निर्णय की तारीख से अपीलार्थी सं. 1 से 3 में से प्रत्येक को प्रति मास 2,500/- रुपए के भरणपोषण का संदाय करे । अपील में, उच्च न्यायालय ने कुटुम्ब न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया और यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी सं. 1 यह साबित करने में असमर्थ थी कि वह प्रत्यर्थी की विधिक रूप से विवाहित पत्नी है । उच्च न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया कि उसने यह दर्शित करने वाला कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि उनका विवाह रीति-रिवाज के अनुसार अनुष्ठापित किया गया था, इसलिए वह विधिक रूप से विवाहित पत्नी न होने के कारण किसी प्रकार के भरणपोषण की हकदार नहीं है । इसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल की गईं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – विवाह-विषयक कार्यवाहियों के विपरीत, जिसमें विवाह का ठोस सबूत आवश्यक होता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन आने वाली कार्यवाहियों में, ऐसे ठोस मानक का सबूत आवश्यक नहीं होता है क्योंकि यह संक्षिप्त प्रकृति का और स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए है । जब पक्षकार पति-पत्नी के रूप में एक-साथ रहते हैं तो यह उपधारणा होती है कि वे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन पत्नी के भरणपोषण का दावा करने के लिए विधिक रूप से विवाहित दंपत्ति हैं । प्रस्तुत मामले में, सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए अपीलार्थी सं. 1 और प्रत्यर्थी पति-पत्नी के रूप में एक-साथ

रह रहे थे और उनसे दो बच्चों का जन्म भी हुआ था । चूंकि अपीलार्थी सं. 1 प्रत्यर्थी की पत्नी है इसलिए वह और उनके बच्चे, अपीलार्थी सं. 2 और 3, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरणपोषण के हकदार होंगे । (पैरा 15)

कुटुम्ब न्यायालय ने, अभि. सा. 1 के साक्ष्य और अनेक दस्तावेज़ों, विशेष रूप से बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी-7 और पी-8) और फोटो (प्रदर्श पी-1 से पी-3) के आधार पर यह ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी सं. 1 ने अपने और प्रत्यर्थी के बीच विधिमान्य विवाह को साबित कर दिया है । अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के साक्ष्य से यह सिद्ध हो जाता है कि अपीलार्थी सं. 1 और प्रत्यर्थी ने पति-पत्नी के रूप में सहवास किया था और उनके आस-पास के लोगों ने उन्हें पति-पत्नी के रूप में माना और कुटुम्ब न्यायालय ने ठीक ही यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी सं. 1, जो कि उसकी पत्नी है और अपीलार्थी सं. 2 और 3, जो कि उनके बच्चे हैं, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन भरणपोषण का दावा करने के हकदार हैं । (पैरा 14)

कुटुम्ब न्यायालय ने अपीलार्थी सं. 1 (अभि. सा. 1) के साक्ष्य, अपीलार्थी सं. 2 और 3 के जन्म प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी-7 और पी-8, तारीख 25 मई, 2001 और 6 अगस्त, 2003), अन्य दस्तावेज़ी साक्ष्य, अभि. सा. 2 के, जो कि अपीलार्थी सं. 1 का सहकर्मी था और अभि. सा. 3 मकान-मालिक के मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी सं. 1 और प्रत्यर्थी पति-पत्नी के रूप में एक-साथ रह रहे थे और उनके विवाह का पर्याप्त सबूत है । कुटुम्ब न्यायालय ने अपीलार्थी सं. 1 और प्रत्यर्थी के बीच विधिमान्य विवाह की उपधारणा करके सही किया था और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन, जो कि संक्षिप्त प्रकृति की है, पत्नी द्वारा भरणपोषण का दावा करने के लिए विधिक रूप से विवाह दंपत्ति हैं । अभि. सा. 1 के साक्ष्य तथा अपीलार्थी सं. 2 और 3 के जन्म प्रमाणपत्रों और अन्य साक्ष्यों से विवाह संबंधी तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है । (पैरा 20)

मौखिक और दस्तावेज़ी साक्ष्य के आधार पर, जब कुटुम्ब न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित कर दिया है कि उनके बीच विधिमान्य विवाह हुआ

है, तब उच्च न्यायालय को, जो कि पुनरीक्षण न्यायालय है, साक्ष्य का पुनर्निर्धारण करने और तथ्य संबंधी निष्कर्षों के संबंध में अपनी राय प्रतिस्थापित करने की कोई शक्ति नहीं है । उच्च न्यायालय ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन आने वाली कार्यवाहियों में विवाह का ठोस सबूत आवश्यक नहीं है । कुटुम्ब न्यायालय द्वारा विधिमान्य विवाह की विद्यमानता के बारे में लेखबद्ध निष्कर्षों में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था । (पैरा 21)

परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी अपीलार्थियों को, कुटुम्ब न्यायालय द्वारा यथा-निदेशित भरणपोषण के बकाया का संदाय दो मास की अवधि के भीतर करेगा । इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी अपीलार्थियों को, कुटुम्ब न्यायालय द्वारा यथा-निदेशित भरणपोषण का संदाय प्रत्येक इंग्लिश कलैंडर मास की दस तारीख को या उससे पूर्व करता रहेगा । अपीलार्थी भरणपोषण में वृद्धि करने के लिए कुटुम्ब न्यायालय में समावेदन करने के लिए भी स्वतंत्र होंगे । (पैरा 22)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2011]	(2011) 1 एस. सी. सी. 141 : **चनमुनिया** बनाम **वीरेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा** ;	16,17,19
[1999]	(1999) 7 एस. सी. सी. 675 : **द्वारका प्रसाद सत्पथी** बनाम **विद्युत पर्व दीक्षित** ;	15
[1988]	(1988) 1 एस. सी. सी. 530 : **यमुनाबाई अनंतराव आधव** बनाम **अनंतराव शिवराम आधव और एक अन्य** ।	7

दांडिक अपीली अधिकारिता : 2009 की दांडिक अपील सं. 2368-2369.

2009 की आर. पी. एफ. सी. सं. 103 में कर्नाटक उच्च न्यायालय की बंगलोर न्यायपीठ के तारीख 16 जून, 2009 के निर्णय और आदेश

के विरुद्ध अपीलें ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री गिरीश अनंतमूर्ति, हरिषा एस. आर. और (श्रीमती) विजयन्ती गिरीश

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री एम. एन. राव, ज्येष्ठ अधिवक्ता और पी. आर. रामाशेष

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (श्रीमती) आर. भानुमती ने दिया ।

न्या. (श्रीमती) भानुमती – ये अपीलें कर्नाटक उच्च न्यायालय की बंगलोर न्यायपीठ द्वारा 2008 के आर.पी.एफ.सी. सं. 103 और 2009 के 21 में पारित तारीख 16 जून, 2009 के उस निर्णय के विरुद्ध उद्भूत हुई हैं जिसमें और जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने कुटुम्ब न्यायालय के उस निर्णय को अपास्त कर दिया था जिसके द्वारा प्रत्यर्थी को अपीलार्थी-पत्नी और बच्चों को भरणपोषण का संदाय करने का निदेश दिया गया था ।

2. अपीलार्थियों का पक्षकथन यह है कि अपीलार्थी सं. 1 और प्रत्यर्थी के बीच विवाह उनके माता-पिता की इच्छाओं के विरुद्ध तारीख 18 जून, 1998 को श्री रंगापट्टना के समीप कारीघाटा मन्दिर में हुआ था और उनके विवाहोत्तर तारीख 9 मई, 2001 और 18 जुलाई, 2003 को क्रमशः अपीलार्थी सं. 2-पुत्री और अपीलार्थी सं. 3-पुत्र का जन्म हुआ था और वे सरस्वतीपुरम, मैसूर में किराए के एक मकान में रहते थे । इसके आगे अपीलार्थियों का यह पक्षकथन है कि जब अपीलार्थी सं. 1 और प्रत्यर्थी के बीच विवाह अस्तित्व में था तब प्रत्यर्थी ने तारीख 1 अप्रैल, 2005 को अर्चना नामक स्त्री से, जो कि उसकी सहकर्मी थी, विवाह कर लिया जिसके पश्चात् प्रत्यर्थी ने अपीलार्थियों की उपेक्षा की और वह अपीलार्थी सं. 1 को तंग कर रहा था । अपीलार्थी सं. 1 ने, प्रत्यर्थी के ऐसे व्यवहार से व्यथित होकर पुलिस में एक शिकायत की और पुलिस के निदेश पर प्रत्यर्थी अपीलार्थियों को उनके भरणपोषण मद्धे 3,000/- रुपए प्रति मास का संदाय कर रहा था । इसके अलावा, यह प्रकथन किया गया है कि जब वे सरस्वतीपुरम से चामुंडीपुरम स्थानांतरित हो गए तब प्रत्यर्थी ने उनकी उपेक्षा करनी आरंभ कर दी । चूंकि अपीलार्थी सं. 1 अपना और अपने बच्चों का भरणपोषण नहीं कर सकती थी

इसलिए उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन प्रत्यर्थी से अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भरणपोषण का दावा करते हुए 2006 का दांडिक प्रकीर्ण सं. 297 फाइल किया ।

3. प्रत्यर्थी ने यह दलील देते हुए भरणपोषण के दावे का विरोध किया कि उसने अपीलार्थी सं. 1 से कभी भी विवाह नहीं किया था और उसकी इस दलील से इनकार किया कि अपीलार्थी सं. 2 और 3 उसके और अपीलार्थी सं. 1 के बच्चे थे । प्रत्यर्थी ने यह दलील दी कि जब पक्षकारों के बीच कोई विधिमान्य विवाह नहीं हुआ है तब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरणपोषण की याचिका कायम नहीं रखी जा सकती है ।

4. कुटुम्ब न्यायालय ने साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी सं. 1 ने यह साबित कर दिया है कि अपीलार्थी सं. 1 और प्रत्यर्थी के बीच पति-पत्नी का संबंध है और यह कि अपीलार्थी सं. 2 और 3 का जन्म उनके उक्त विवाह के फलस्वरूप हुआ है और यह कि प्रत्यर्थी उसे प्रतिमास 3,000/- रुपए भरणपोषण का संदाय कर रहा था । कुटुम्ब न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थियों के पक्षकथन को अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के साक्ष्य द्वारा समर्थित किया गया है जिससे स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि वे एक ही छत के नीचे रह रहे थे और समाज ने भी उन्हें पति और पत्नी माना । कुटुम्ब न्यायालय ने इन निष्कर्षों के आधार पर तारीख 12 अगस्त, 2008 के अपने आदेश द्वारा अपीलार्थी के दावे को मंजूर कर लिया और याचिका की तारीख से निर्णय की तारीख, अर्थात् 12 अगस्त, 2008 तक अपीलार्थी सं. 1 को प्रति मास 3,000/- रुपए और अपीलार्थी सं. 2 और 3 प्रत्येक को प्रति मास 2,500/- रुपए का भरणपोषण देने का आदेश किया । प्रत्यर्थी को यह निदेश दिया गया था कि वह निर्णय की तारीख, अर्थात् 12 अगस्त, 2008 से अपीलार्थी सं. 1 से 3 में से प्रत्येक को प्रति मास 2,500/- रुपए के भरणपोषण का संदाय करे ।

5. अपील में, उच्च न्यायालय ने कुटुम्ब न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया और यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी सं. 1 यह

साबित करने में असमर्थ थी कि वह प्रत्यर्थी की विधिक रूप से विवाहित पत्नी है । उच्च न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया कि उसने यह दर्शित करने वाला कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि उनका विवाह रीति-रिवाज के अनुसार अनुष्ठापित किया गया था, इसलिए वह विधिक रूप से विवाहित पत्नी न होने के कारण किसी प्रकार के भरणपोषण की हकदार नहीं है ।

6. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउन्सेल श्री गिरीश अनंतमूर्ति ने यह दलील दी कि जब पक्षकार एक ही छत के नीचे पति-पत्नी के रूप में रहते हैं तब ऐसे व्यक्ति के पक्ष में उपधारणा उद्भूत होती है जो विधिमान्य विवाह की विद्यमानता का प्राख्यान करता है । यह दलील दी गई थी कि वर्तमान मामले में, पक्षकारों ने एक मन्दिर में विवाह किया था और एक साथ रहे और उनसे दो बच्चों का जन्म हुआ, इसलिए अपीलार्थी सं. 1 के पक्ष में उपधारणा उद्भूत होती है और प्रत्यर्थी उक्त उपधारणा का खंडन करने में असफल रहा । अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउन्सेल ने आगे यह दलील दी कि कुटुम्ब न्यायालय ने अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य का विश्लेषण करने के पश्चात् तथ्य संबंधी यह निष्कर्ष लेखबद्ध किया है कि अपीलार्थी सं. 1 प्रत्यर्थी की विधिक रूप से विवाहित पत्नी है और अपीलार्थी सं. 2 और 3 उनके विवाहोत्तर पैदा होने वाले बच्चे हैं और उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए तथ्य संबंधी उक्त निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था ।

7. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल श्री एम. एन. राव ने यह दलील दी है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(1)(क) के अधीन भरणपोषण के लिए आवेदन केवल ऐसी पत्नी द्वारा किया जा सकता है जो कि विधिक रूप से विवाहित पत्नी है । यह दलील दी गई थी कि अपीलार्थी सं. 1 और प्रत्यर्थी के बीच कोई विधिमान्य विवाह नहीं हुआ था और इसलिए अपीलार्थी सं. 1 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन किसी प्रकार का भरणपोषण का दावा करने की हकदार नहीं है । यह दलील दी गई थी कि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से यह प्रकट नहीं होता है कि पक्षकारों के बीच कोई विवाह

हुआ था और इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरणपोषण का दावा कायम नहीं रखा जा सकता था और उच्च न्यायालय ने कुटुम्ब न्यायालय के भरणपोषण का आदेश करने वाले निर्णय को उलटकर ठीक ही किया है । इस दलील के समर्थन में, **यमुनाबाई अनंतराव आधव** बनाम **अनंतराव शिवराम आधव और एक अन्य**[1] वाले मामले का अवलंब लिया गया था ।

8. हमने परस्पर-विरोधी दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और आक्षेपित निर्णय तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का परिशीलन किया है ।

9. अपीलार्थी सं. 1 (अभि. सा. 1) ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि विवाह से पूर्व वह और प्रत्यर्थी पड़ोसी थे और वे एक-दूसरे से प्यार करते थे और उनका विवाह श्री रंगापट्टना के समीप कारीघाटा मन्दिर में हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार तारीख 18 जुलाई, 1998 को हुआ था और यह कि दोनों कुटुम्ब उनके विवाह के विरुद्ध थे । अभि. सा. 1 ने आगे यह कथन किया कि विवाहोत्तर दो बच्चे, एक लड़की और एक लड़के का जन्म क्रमशः 9 मई, 2001 और 18 जुलाई, 2003 को हुआ था । अभि. सा. 1 ने आगे यह कथन किया कि प्रत्यर्थी बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा था और अर्चना नामक एक स्त्री के साथ, जो कि उसके साथ कार्य कर रही थी, उसके अवैध संबंध बन गए थे और इसके पश्चात् प्रत्यर्थी ने धीरे-धीरे अपीलार्थी सं. 1 को उत्पीडित करना आरंभ कर दिया और उसके बच्चों की भी उपेक्षा की । अभि. सा. 1 ने आगे यह कथन किया कि उसने पुलिस में शिकायत की थी, पुलिस ने प्रत्यर्थी को चेतावनी दी थी और उसे अपीलार्थियों को प्रति मास 3,000/- रुपए का संदाय करने के लिए कहा था और इसके पश्चात् वे सरस्वतीपुरम से चामुंडीपुरम स्थानांतरित हो गए और वहां किराए पर एक घर ले लिया । अभि. सा. 1 ने इसके अलावा, यह कथन किया कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थियों की देखभाल करने में उपेक्षा की और चूंकि अपीलार्थी सं. 1 अपना और अपने बच्चों का भरणपोषण करने में समर्थ नहीं थी इसलिए

---

[1] (1988) 1 एस. सी. सी. 530.

उसने भरणपोषण का दावा करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन एक याचिका फाइल की ।

10. अपीलार्थी सं. 1 ने विवाह और अपने दावे को साबित करने के लिए प्रदर्श पी-1 से पी-20 चिह्नित किए । प्रदर्श पी-1 से पी-3 अपीलार्थियों और प्रत्यर्थी के फोटो हैं; प्रदर्श पी-7 और पी-8 अपीलार्थी सं. 2 और 3, अर्थात् पुत्री और पुत्र, के जन्म प्रमाणपत्र हैं और प्रदर्श पी-9 और पी-11 पुलिस के समक्ष की गई शिकायत की प्रतियां हैं; अन्य प्रदर्श, प्रत्यर्थी द्वारा दी गई भरणपोषण की रकम स्वीकार करने संबंधी रसीदें और अन्य दस्तावेज़ हैं ।

11. प्रदर्श पी-7 से पी-8 अपीलार्थी सं. 2 और 3 – पुत्री और पुत्र के जन्म प्रमाणपत्र हैं जिनसे यह दर्शित होता है कि विवाहोत्तर एक लड़की और एक लड़के का जन्म क्रमशः 9 मई, 2001 और 18 जुलाई, 2003 को हुआ था । प्रदर्श पी-7 से पी-8 में, पिता का नाम "मोहन कुमार एम. आर." और माता का नाम "कमला" वर्णित है । बच्चों के जन्म प्रमाणपत्रों से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी सं. 1 और प्रत्यर्थी पति-पत्नी हैं और अपीलार्थी सं. 2 और 3 उनके बच्चे हैं । कुटुम्ब न्यायालय ने तथ्य संबंधी यह निष्कर्ष लेखबद्ध किया कि प्रत्यर्थी ने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-1 से पी-3 उनके फोटो हैं । जैसा कि कुटुम्ब न्यायालय द्वारा ठीक ही मत व्यक्त किया गया है, प्रदर्श पी-1 से पी-3 भाई-बहन का रिश्ता या साधारण पड़ोसी के नातेदारी प्रतीत नहीं होती है और उक्त फोटो से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्यर्थी और अपीलार्थी सं. 1 पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे । जैसा कि इससे पूर्व इंगित किया गया है, अपीलार्थी सं. 1 ने प्रदर्श पी-9 शिकायत की थी और पुलिस ने पक्षकारों के बीच मामले को निपटाया था और प्रत्यर्थी को यह कहा था कि वह अपीलार्थी सं. 1 को प्रति मास 3,000/- रुपए के भरणपोषण का संदाय करे । प्रदर्श पी-13 से पी-17 वे रसीदें हैं जिनसे यह दर्शित होता है कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी सं. 1 को नियमित रूप से धनराशि का संदाय कर रहा है । यदि प्रत्यर्थी अपीलार्थी सं. 1 का पति नहीं था तो उसे अपीलार्थी सं. 1 को प्रत्येक मास रकम का संदाय नहीं करना चाहिए था । जैसा कि कुटुम्ब न्यायालय द्वारा ठीक ही मत

व्यक्त किया गया है, प्रत्यर्थी के इस स्पष्टीकरण में कोई सार नहीं है कि अपीलार्थी सं. 1 पड़ोसी था और इसलिए वह उसकी सहायता करता था । अभि. सा. 1 के साक्ष्य और दस्तावेज़ों से विधिमान्य विवाह की ठोस उपधारणा उद्भूत होती है ।

12. अपीलार्थी सं. 1 ने के. आर. नारायण अयंगर (अभि. सा. 2) की भी परीक्षा की है, जिसने यह कथन किया है कि वह समृद्धि फाइनेंस में प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा था जहां कि अपीलार्थी सं. 1 भी उसके साथ काम कर रही थी । अभि. सा. 2 ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी सं. 1 को छोड़ने और ले जाने के लिए आता था और जब कभी उसके पास समय होता था वह प्रत्यर्थी से बातचीत किया करता था और उसने उसके साथ काफी भी पी । अभि. सा. 2 ने आगे यह कथन किया कि प्रत्यर्थी और अपीलार्थी सं. 1 पति-पत्नी के रूप में खुशी से रह रहे थे और वे एक खुशहाल विवाहित जीवन व्यतीत कर रहे थे ।

13. मकान मालिक (अभि. सा. 3) ने भी यह कथन किया है कि अपीलार्थी सं. 1 और प्रत्यर्थी वर्ष 2005 के दौरान उसके मकान में किराए पर निवास कर रहे थे और उन्होंने यह बताकर मकान किराए पर लिया था कि वे पति-पत्नी हैं । अभि. सा. 3 ने इसके अलावा यह कथन किया कि अपीलार्थी सं. 1 और प्रत्यर्थी ने अप्रैल, 2006 तक वहां पर निवास किया और यह कि जब वे उसके मकान में आए थे तब उनके दो बच्चे थे और अपीलार्थी सं. 1 और प्रत्यर्थी एक खुशहाल विवाहित जीवन व्यतीत कर रहे थे ।

14. कुटुम्ब न्यायालय ने, अभि. सा. 1 के साक्ष्य और अनेक दस्तावेज़ों, विशेष रूप से बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी-7 और पी-8) और फोटो (प्रदर्श पी-1 से पी-3) के आधार पर यह ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी सं. 1 ने अपने और प्रत्यर्थी के बीच विधिमान्य विवाह को साबित कर दिया है । अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के साक्ष्य से यह सिद्ध हो जाता है कि अपीलार्थी सं. 1 और प्रत्यर्थी ने पति-पत्नी के रूप में सहवास किया था और उनके आस-पास के लोगों ने उन्हें पति-पत्नी के रूप में माना और कुटुम्ब न्यायालय ने

ठीक ही यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी सं. 1, जो कि उसकी पत्नी है और अपीलार्थी सं. 2 और 3, जो कि उनके बच्चे हैं, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन भरणपोषण का दावा करने के हकदार हैं ।

15. विवाह विषयक कार्यवाहियों के विपरीत, जिसमें विवाह का ठोस सबूत आवश्यक होता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन आने वाली कार्यवाहियों में, ऐसे ठोस मानक का सबूत आवश्यक नहीं होता है क्योंकि यह संक्षिप्त प्रकृति का और स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए है । **द्वारका प्रसाद सत्पथी** बनाम **विद्युत पर्व दीक्षित**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि "धारा 125 के अधीन आने वाली किसी कार्यवाही में विवाह के सबूत का मानक इतना कठोर नहीं होता है जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अधीन आने वाले किसी अपराध के विचारण में आवश्यक होता है । विद्वान् न्यायाधीशों ने यह अभिनिर्धारित करते हुए उपर्युक्त निष्कर्ष के कारण को स्पष्ट किया कि धारा 125 के अधीन किसी आवेदन में पारित किसी आदेश में, वास्तव में पक्षकारों के अधिकारों और बाध्यताओं का अवधारण नहीं किया जाता है क्योंकि यह धारा उपेक्षित पत्नियों द्वारा भरणपोषण प्राप्त करने के लिए एक संक्षिप्त उपचार का उपबंध करने की दृष्टि से अधिनियमित की गई है । विद्वान् न्यायाधीशों ने यह अभिनिर्धारित किया कि वहां भरणपोषण से इनकार नहीं किया जा सकता है जहां इस संबंध में कुछ साक्ष्य विद्यमान हो जिसके आधार पर एक साथ रहने का निष्कर्ष निकाला जा सकता था ।" जब पक्षकार पति-पत्नी के रूप में एक-साथ रहते हैं तो यह उपधारणा होती है कि वे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन पत्नी के भरणपोषण का दावा करने के लिए विधिक रूप से विवाहित दंपत्ति हैं । प्रस्तुत मामले में, सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए अपीलार्थी सं. 1 और प्रत्यर्थी पति-पत्नी के रूप में एक-साथ रह रहे थे और उनसे दो बच्चों का जन्म भी हुआ था । चूंकि अपीलार्थी सं. 1 प्रत्यर्थी की पत्नी है इसलिए वह और उनके बच्चे, अपीलार्थी सं. 2 और 3, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरणपोषण के हकदार होंगे ।

---

[1] (1999) 7 एस. सी. सी. 675.

16. यह उचित रूप से सुस्थापित है कि विधि के अधीन तब विवाह के पक्ष में और उपपत्नीत्व के विरुद्ध उपधारणा की जाती है जब किसी पुरुष और स्त्री ने अनेक वर्षों तक लगातार सहवास किया हो । इस न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों के प्रतिनिर्देश करने के पश्चात्, **चनमुनिया** बनाम **वीरेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा**[1] वाले मामले में निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

> "11. पुनः, शास्त्री वेलैदर अरोनेगरी **बनाम** सेंबेकुट्टी वैगल्ली (1881) 6 अपील केसेज़ 364 वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां किसी पुरुष और स्त्री के बारे में यह साबित हो जाता है कि वे पुरुष और पत्नी के रूप में एक साथ रहते थे वहां जब तक स्पष्टतः इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, विधि के अधीन यह उपधारणा की जाएगी कि वे किसी विधिमान्य विवाह के फलस्वरूप न कि उपपत्नीत्व की स्थिति में एक साथ रह रहे थे ।
>
> 12. भारत में, इन्हीं सिद्धांतों का आंद्रहेनिजे डायनोहामी **बनाम** विजेतुंगे लियानापताबेन्डिगे बालाहामी [ए. आई. आर. 1927 प्रिवी कौंसिल 185] वाले मामले में अनुसरण किया गया है, जिसमें प्रिवी कौंसिल ने यह साधारण प्रतिपादना अधिकथित की है कि जहां किसी पुरुष और स्त्री के बारे में यह साबित हो जाता है कि वे पुरुष और पत्नी के रूप में एक साथ रहते थे वहां जब तक स्पष्टतः इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, विधि के अधीन यह उपधारणा की जाएगी कि वे किसी विधिमान्य विवाह के फलस्वरूप न कि उपपत्नीत्व की स्थिति में एक साथ रह रहे थे ।
>
> 13. मोहब्बत अली खान **बनाम** मोहम्मद इब्राहिम खान [ए. आई. आर. 1929 प्रिवी कौंसिल 135] वाले मामले में प्रिवी कौंसिल ने यह अधिकथित किया गया है कि जब किसी पुरुष और स्त्री ने अनेक वर्षों तक लगातार सहवास किया हो तब विधि में विवाह के पक्ष में और आवारागर्दी के विरुद्ध उपधारणा की जाती है ।

---

[1] (2011) 1 एस. सी. सी. 141.

14. गोकल चन्द **बनाम** प्रवीन कुमारी [ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 231] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी पुरुष और स्त्री का पति और पत्नी के रूप में लगातार सहवास करने से विवाह की उपधारणा उद्भूत हो सकती है किन्तु लंबी अवधि तक सहवास करने से जो उपधारणा की जा सकती है वह खंडनीय है और यदि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जो उपधारणा को कमजोर या नष्ट करती हैं तो न्यायालय उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता है ।

15. इसके अलावा, बद्री प्रसाद **बनाम** चकबन्दी निदेशक (1978) 3 एस. सी. सी. 527 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां भागीदार एक लंबी अवधि तक पति-पत्नी के रूप में एक-साथ रहे हैं वहां विवाह के पक्ष में एक ठोस उपधारणा उद्भूत होती है । यद्यपि यह उपधारणा खंडनीय है तथापि, इसका अधिक भार उस व्यक्ति पर है जो विधिक उद्भव के संबंध से वंचित करने की ईप्सा करता है ।

16. पुनः तुलसा **बनाम** दुर्घटिया (2008) 4 एस. सी. सी. 520 वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां भागीदार एक लंबी अवधि तक पति-पत्नी के रूप में रहे हैं वहां विधिमान्य विवाह के पक्ष में उपधारणा उद्भूत होगी ।"

इस न्यायालय ने **चनमुनिया** (उपर्युक्त) वाले मामले में आगे इस प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

"24. इस प्रकार, उन मामलों में, जहां कोई पुरुष काफी लंबे समय तक किसी स्त्री के साथ रहा हो और हो सकता है कि भले ही उन्होंने एक विधिमान्य विवाह की विधिक आवश्यकताओं को पूरा न किया हो, तो भी उसे स्त्री को भरणपोषण का संदाय करने के लिए दायी ठहराया जाना चाहिए, यदि वह उसका परित्याग करता है । पुरुष को कर्तव्यों और बाध्यताओं का निर्वहन किए बिना वास्तविक विवाह के लाभों का उपभोग करके विधिक कमियों का फायदा उठाने की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए । इसका कोई अन्य

निर्वचन करने के परिणामस्वरूप स्त्री आवारागर्दी और निराश्रितता का शिकार होगी जिसे रोकने के लिए धारा 25 में भरणपोषण का उपबंध किया गया है ।" (जोर देने के लिए रेखांकन किया गया है)

17. **चनमुनिया** (उपर्युक्त) वाले मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में "पत्नी" शब्द के निर्वचन के संबंध में भिन्न-भिन्न न्यायिक मतों के प्रतिनिर्देश किया । **चनमुनिया** (उपर्युक्त) वाले निर्णय के पैरा (28) और (29) में इस न्यायालय ने अन्य निर्णयों के प्रतिनिर्देश किया, जिसमें निम्नलिखित रूप में एक भिन्न टिप्पण किया गया है :–

"28. तथापि, इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने यमुनाबाई अनंतराव आधव **बनाम** अनंतराव शिवराम आधव (1988) 1 एस. सी. सी. 530 वाले मामले में एक भिन्न टिप्पणी करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 125 के अधीन आने वाली कार्यवाहियों में पक्षकारों की स्वीय विधि को पूर्णतः अपवर्जित करने का प्रयास करना अनुचित है (पैरा 6 देखिए) । विद्वान् न्यायाधीशों ने यह भी अभिनिर्धारित किया (पैरा 4 और 8) कि संहिता की धारा 125 में प्रयुक्त "पत्नी" अभिव्यक्ति का निर्वचन केवल विधिक रूप से विवाहित पत्नी के अर्थ में किया जाना चाहिए ।

29. पुनः सविताबेन सोमाभाई भाटिया **बनाम** गुजरात राज्य (2005) 3 एस. सी. सी. 636 वाले मामले में इस न्यायालय के पश्चात्वर्ती विनिश्चय में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसी किसी दुर्भाग्यशाली स्त्री की, जिसने किसी विवाहित पुरुष के साथ अनजाने में विवाह किया है, दुर्दशा को ध्यान में रखना चाहे कितना भी वांछनीय क्यों न हो, ऐसी स्त्री को "पत्नी" अभिव्यक्ति के भीतर शामिल करने की कोई गुंजाइश नहीं है जो विधिक रूप से विवाहित नहीं है । न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि विधि में व्याप्त इस अपर्याप्तता में कोवल विधान-मंडल द्वारा ही सुधार किया जा सकता है । विद्वान् न्यायाधीशों ने उपर्युक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए यमुनाबाई (1988) 1 एस. सी. सी. 530 वाले विनिश्चय का अवलंब लिया ।"

18. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में "पत्नी" शब्द के निर्वचन के संबंध में न्यायिक राय की भिन्नता के प्रतिनिर्देश करने के पश्चात्, न्यायमूर्ति ए. के. गांगुली ने न्यायपीठ की ओर से निर्णय सुनाते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायपीठ, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के सामाजिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए "पत्नी" परिभाषा के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य है ।

19. **चनमुनिया** (उपर्युक्त) वाले मामले में, इस न्यायालय ने तीन प्रश्न विरचित किए और मामला बृहत्तर न्यायपीठ को निर्देशित कर दिया । तथापि, इस न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता के विभिन्न उपबंधों पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन "पत्नी" पद का व्यापक और विस्तृत निर्वचन किया जाना चाहिए और निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

> "42. हमारी राय यह है कि "पत्नी" पद का इतना व्यापक और विस्तृत निर्वचन किया जाना चाहिए जिससे कि उसके अंतर्गत वे मामले भी आ जाएं जहां एक पुरुष और स्त्री युक्तियुक्त रूप से लंबे समय से एक-साथ रह रहे हैं और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरणपोषण के फायदाग्राही उपबंध की सही भावना और मर्म को पूरा करने के लिए धारा 125 के अधीन भरणपोषण के लिए विवाह का ठोस सबूत पूर्वशर्त नहीं होना चाहिए । हम यह भी विश्वास करते हैं कि ऐसा निर्वचन करना हमारे संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित सिद्धांतों का, अर्थात्, सामाजिक न्याय और व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना, न्यायसंगत उपयोजन होगा ।"

20. कुटुम्ब न्यायालय ने अपीलार्थी सं. 1 (अभि. सा. 1) के साक्ष्य, अपीलार्थी सं. 2 और 3 के जन्म प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी-7 से पी-8, तारीख 25 मई, 2001 और 6 अगस्त, 2003), अन्य दस्तावेज़ी साक्ष्य, अभि. सा. 2 के, जो कि अपीलार्थी सं. 1 का सहकर्मी था और अभि. सा 3 – मकान-मालिक के मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी सं. 1 और प्रत्यर्थी पति-पत्नी के रूप में एक-साथ रह रहे थे और उनके विवाह का पर्याप्त सबूत है । कुटुम्ब न्यायालय ने अपीलार्थी सं. 1 और प्रत्यर्थी के बीच विधिमान्य विवाह की उपधारणा

करके सही किया था और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन, जो कि संक्षिप्त प्रकृति की है, पत्नी द्वारा भरणपोषण का दावा करने के लिए विधिक रूप से विवाहित दंपत्ति हैं । अभि. सा. 1 के साक्ष्य तथा अपीलार्थी सं. 2 और 3 के जन्म प्रमाणपत्रों और अन्य साक्ष्यों से विवाह संबंधी तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है ।

21. मौखिक और दस्तावेज़ी साक्ष्य के आधार पर, जब कुटुम्ब न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित कर दिया है कि उनके बीच विधिमान्य विवाह हुआ है, तब उच्च न्यायालय को, जो कि पुनरीक्षण न्यायालय है, साक्ष्य का पुनर्निर्धारण करने और तथ्य संबंधी निष्कर्षों के संबंध में अपनी राय प्रतिस्थापित करने की कोई शक्ति नहीं है । उच्च न्यायालय ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन आने वाली कार्यवाहियों में विवाह का ठोस सबूत आवश्यक नहीं है । कुटुम्ब न्यायालय द्वारा विधिमान्य विवाह की विद्यमानता के बारे में लेखबद्ध निष्कर्षों में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था ।

22. परिणामस्वरूप, 2008 के आर. पी. एफ. सी. सं. 103 और 2009 के आर. पी. एफ. सी. सं. 21 में तारीख 16 जून, 2009 का आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है और इन अपीलों को मंजूर किया जाता है । प्रत्यर्थी अपीलार्थियों को, मैसूर के कुटुम्ब न्यायालय द्वारा यथा-निदेशित भरणपोषण के बकाया का संदाय दो मास की अवधि के भीतर करेगा । इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी अपीलार्थियों को, कुटुम्ब न्यायालय द्वारा यथा-निदेशित भरणपोषण का संदाय प्रत्येक इंग्लिश कलैंडर मास की दस तारीख को या उससे पूर्व करता रहेगा । अपीलार्थी भरणपोषण में वृद्धि करने के लिए कुटुम्ब न्यायालय में समावेदन करने के लिए भी स्वतंत्र होंगे ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

ग्रो.